

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-25 मार्च, 2020

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में बोवाईन ब्रीडिंग हेतु सेक्स्ट सीमेन का उत्पादन (60 प्रति.के.पो.) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-126/पशुधन-2/17(13)/2019-20, दिनांक-14.03.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-15 के अधीन बोवाईन ब्रीडिंग हेतु सेक्स्ट सीमेन का उत्पादन (60 प्रति.के.पो.) योजनान्तर्गत राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में नई मांग के माध्यम से प्राविधानित कुल धनराशि ₹0-942.00 लाख (रूपये नौ करोड़ बयालिस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी:-

लेखाशीर्षक/मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
2403-पशुपालन- 102-पशु तथा भैंस विकास- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें- 0105-बोवाईन ब्रीडिंग हेतु सेक्स्ट सीमेन का उत्पादन (के.60/रा.40-के.+रा.)	
42-अन्य व्यय	624.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	168.00
योग (राजस्व)-	792.00
4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय- 102-पशु तथा भैंस विकास- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें- 0101-बोवाईन ब्रीडिंग हेतु सेक्स्ट सीमेन का उत्पादन (के.60/रा.40-के.+रा.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	124.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	26.00
योग (पूंजीगत)-	150.00
महायोग-	942.00

(रूपये नौ करोड़ बयालिस लाख मात्र)

- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अवमुक्त के निर्धारित मद में ही किया जायेगा।
 - (4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।
 - (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
 - (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाये।
 - (8) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय 30प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, 30प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
 - (9) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
 - (10) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनार्ये-0105-बोवाईन ब्रीडिंग हेतु सेक्स्ट सीमेन का उत्पादन (के.60/रा.40-के.+रा.) व लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-102-पशु तथा भैंस विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनार्ये-0101-बोवाईन ब्रीडिंग हेतु सेक्स्ट सीमेन का उत्पादन (के.60/रा.40-के.+रा.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-285/दस-2020, दिनांक-25.03.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

पु0सं0-24/2020/848(1)/सैंतीस-2-2020- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 30प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।